

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत पठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर संबंधित विषय हेतु आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य / संस्था / सी-ओए/6004/चयन/2017-18 दिनांक-12.07.17 के द्वारा जारी डीपीसी वर्ष 2017-18 में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची में सम्मिलित संलग्न सूची में विवरणांकित कर्मियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) दर्शनशास्त्र के पद पर पे-बैंड 2 (9300-34800) ग्रेड वेतन 4800 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/03) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मियों जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो लो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी / प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कर्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कर्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रधानाचार्य दिनांक-25/03/2018 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कर्मिक को दिनांक-26/03/2018 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व में चयन वर्ष 2016-17 हेतु निर्मित पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण सूची के संदर्भ में रिव्यू एवं रिविजन के आधार पर प्रदत्त पदोन्नति के फलस्वरूप पूर्व से प्राध्यापक स्कूल शिक्षा दर्शनशास्त्र के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें इस आदेश की पालना में पदोन्नति पर पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा एवं ऐसी स्थिति से तत्काल इस कार्यालय को सूचित करेंगे। पदोन्नत कर्मिक को दिनांक-27/03/2018 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कर्मिक की कार्यमुक्त/कार्यग्रहण का इन्टिमेशन प्रमाण दर्पण पर अपडेट करावे।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवे की जिस वरिष्ठता अर्हता के आधार पर कर्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है उस अर्हता के पश्चात उस कर्मिक की अर्हतापट्टल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अर्हतापट्टल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कर्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बताते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

(नथमल डिबेल)
आई.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 22-3-18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/ दर्शनशास्त्र / डीपीसी-पदस्थापन/2017-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

10. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
11. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
13. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
14. समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को भेजकर लेख है कि संलग्न सूची में जिन कर्मिकों के उक्त आदेशों की प्रतिक्षा में निदेशालय अंकित किया गया है को इस कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करावे अन्यथा इनका पदोन्नति से परित्याग मान लिया जायेगा।
15. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कर्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
16. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
17. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान
18. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच

कार्यमुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिक्षित/मा/संस्था/सी-5/डीपीसी वर्ष 2017-18/दर्शन शास्त्र-पदस्थापन/17

दिनांक 22/03/18

क्रमांक	स्वास्थ्य परिच्छेदा सूची का क्रमांक	परिच्छेदा अवधि	नाम लोक सेवक	जन्मतिथि	जिला	कार्यपत्र स्थान	पदस्थापन स्थान (राजमाथि)	जिला
1	898	1991- 1992	VINOD KUMAR CHAUBISA	30-04-1964	BANSWARA	राजमाथि, भिडियायासा बांसवाडा	GSSS SHAHARI JALORE	JALORE

(Signature)

(निधमल डिउेल)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर